B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 1(d)
Topic - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**-2009
(Right to Edcuation Act-2009)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 91

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की कमियाँ
(Lacunae in Right to Education Act-2009)

शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल, 2010 से लागु हुआ। यद्यपि केन्द्र-सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्व-शिक्षा अभियान योजना चलाई गई थी, परन्तु सरकार की ओर से संवैधानिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। यदि यह अधिनियम प्रभावशाली ढंग ले लागू किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम हमारे समक्ष सामने आएंगे, जो देश के विकास में सहायक होंगे। परन्तु फिर भी इस अधिनियम में कुछ कमियाँ हैं, जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है -

1. **राज्य के फंड के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं** - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में राज्य सरकार को फण्ड के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं। अधिनियम की धारा-7(1) के अनुसा, केन्द्र-सरकार एवं राज्य-सरकार मिलकर फण्ड की व्यवस्था करेंगी। यह फण्ड किस अनुपात में होगा, इसके बारे में अधिनियम में स्पष्ट निर्देष नहीं है।

2. **प्राथमिक शिक्षा तक सीमित** - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है अर्थात्त बच्चों की माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति धुंधली हो जाती है जो अधिनियम की कमी है।

3. **मानसिक प्रताड़ना परिभाषित नहीं** - अधिनियम की धारा-17(1) के अधीन इस बात की व्यवस्था है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक दंड नही दी जाएगी। यदि कोई दंड दता है या प्रताड़ित करता है तो धारा-17(2) के अनुसार, वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागीदार होगा। अधिनियम में मानसिक प्रताड़ना के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं है, जिससे यह शिक्षकों के विरूद्ध अभिभावकों या स्कूल समिति के पास प्रयोग-योग्य उचित हथियार है।

4. **शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य** - अधिनियम की धारा-27 के अधीन यह व्यवस्था है कि शिक्षके को अशैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जबकि इसी धारा में उन्हें जनगणना, मतदान का कार्य (स्थानीय/विधान सभा/संसद) तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय कार्य करने के लिए बाध्य करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों से अशैक्षणिक कार्य लेने की अनुमति देता है।

5. **विद्यालय समिति के बारे में स्पष्ट नहीं** - अधिनियम की धारा-21(1) के अधीन विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति के गठन के बारे में कहा गया है,परन्तु सदस्यों के चयन के बारे कोई स्पष्ट व्यवस्थ नहीं है, जिससे विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन जाता है।

6. **शिक्षकों के वेतन पर मौन** - अधिनियम की धारा-23 एवं 24 के अधीन शिक्षकों के लिए योग्यताएं, सेवा शर्तें एवं कर्त्तव्य निश्चित किए गए हैं किन्तु शिक्षकों के वेतन पर अधिनियम मौन है।

स्पष्ट है कि यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु उपरोक्त कमियों को दूर कर इसे और प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

समाप्त